

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्या - 13/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर - 2019/00013

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट्स:-

नेकाराम पुत्र मानाराम जाति जणवा चौधरी, निवासी फालना, तहसील बाली, जिला पाली।

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार, नाना जिला पाली, राजस्थान
2. ग्राम पंचायत फालना गांव, जरिये सरपंच

उपरिस्थिति:-

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांत
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 की ओर से

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29-05-2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम प्रकरण संख्या 186/2019 में पारित आदेश को निरस्त करवाने बाबत।

-:आदेश:-

दिनांक 22/09/19

1. अपीलांत द्वारा यह अपील धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हैं। तहसीलदार बाली द्वारा हल्का पटवारी फालना गांव की रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 के आधार पर अपीलांत द्वारा उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर में से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर बाउण्डरी बनाकर अतिक्रमण मानकर अपीलांत के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 186/2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29.5.2019 को मुकर्रर की गई। अपीलांत को प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 29.5.2019 को तहसील कार्यालय बाली में हाजिर हुआ जहां अपीलांत को खाली आदेशीका पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा गया कि प्रकरण में आगे की तारीख बाद में बता देंगे। परन्तु तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.5.2019 को उक्त प्रकरण में अपीलांत से जवाब व साक्ष्य रेकॉर्ड पर लिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29.5.2019 अनुसार अपीलांत को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने के साथ वार्षिक लगान रुपये 1/- का 50 गुणा रुपये 50/- अक्षरे पच्चास रुपये के जुर्माने से आरोपित किया। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण 186/2019 में अपीलांत के विरुद्ध बिना जवाब व साक्ष्य रेकॉर्ड पर लिये एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर निर्णय पारित किया। जो कि काबिले खारिज योग्य हैं।

2. अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के निर्णय से व्यतीत होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। साथ ही निवेदन किया कि दिनांक 19.7.2019 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांत को अपने खरीदशुदा मालिकाना हक भूखण्ड पर बनाई हुई

अति  जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

बाउण्डरी को हटाने के लिए कहा तब अपीलांट को उक्त प्रकरण मे हुए आदेश के संबंध में प्रथम बार जानकारी हुई। जिस जानकारी के होते ही अपीलांट ने दिनांक 22.7.2019 को प्रकरण पत्रावली व संबंधित आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकले दिनांक 26.7.2019 को तैयार होकर अपीलांट को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त प्राप्ति के बाद बिना किसी देरी के उक्त अपील तैयार कर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः सदभाविक देरी को माफ करने हेतु अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जो बाद तामिल प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली किये गये।

4. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश कर अपने जवाब में निवेदन किया की मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बाराणी सोयम जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हैं। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 में उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाउण्डरी बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया की खसरा नम्बर 288 के किस भाग पर एवं कौनसी दिशा में कितनी लम्बाई चौड़ाई में अपीलार्थी का कब्जा हैं तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा इसके संदर्भ में कोई नक्शा मौका बनाया गया हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एक तरफा कागजी मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार बाली को पेश की गई, जो विधि विरुद्ध हैं। इस तरह ऐसी विधि विरुद्ध कागजी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया हैं वह खारिज करने योग्य हैं।

5. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक द्वारा द्वितिय दलिल पेश कर निवेदन किया की पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 मे रकबा 0.01 हैक्टर पर जो अवैध कब्जा बताया हैं वह विधि विरुद्ध हैं, क्योंकि सही व वास्तविक रूप से अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 288 मे नहीं हो कर 288/1 में हैं।

6. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक द्वारा तृतीय दलिल पेश कर निवेदन किया की पंचायत समिति बाली की वित्त स्थायी एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 17.9.2009 के द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 (3)(क) के तहत ग्राम पंचायत फालना गांव द्वारा खसरा नम्बर 288/1 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आवादी भूमि मे से लाभार्थियों को निलामी पर माफिक प्लान भूखण्डों का विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली के आदेश क्रमांक/पं.स.बा./ पंचायत/2009-10/1217 दिनांक 23.9.2009 के तहत निलाम किये गये थे। उक्त आदेश के रहते अपीलांट ने दुकान संख्या 22 देय राशि 25400/- रूपये व दुकान संख्या 23 देय राशि 25400/- रूपये तथा प्लॉट संख्या 86 देय राशि 32150/- कुल राशि 85950 /- अक्षरे पिच्चासी हजार नो सौ पच्चास रूपये जरिये रसीद संख्या 514 दिनांक 10.8.2009 को अदा कर खरीद किये थे। तत्पश्चात ग्राम पंचायत फालना गांव द्वारा दिनांक 05.10.2009 को अपीलांट के नाम उक्त दुकान संख्या 22 व 23 तथा प्लॉट संख्या 86 के पट्टे जारी किये गये। जिसके बाद अपीलांट ने अपने पट्टासुदा भूखण्ड संख्या 86 पर बाउण्डरी बनवाई। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध उक्त साक्ष्यों के विरुद्ध जाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार बाली के समक्ष पेश की। जिसके अनुसार तहसीलदार बाली ने विधि विरुद्ध एवं साक्ष्यों व

अति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पारती (राज)

जवाब के अभाव में अपीलांट के विरुद्ध जो आदेश पारित किया है वह खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

7. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक द्वारा चौथी दलिल पेश कर निवेदन किया की आज भी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के अनुसार मौजा ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288/01 रकबा 1.32 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत फालना गांव, के खाते मे दर्ज हैं। जिसके साक्ष्य मे जमाबन्दी संलग्न हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत फालना गांव को बीना नोटिस दिये ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं।

8. रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमादित्यसिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब एवं बहस हेतु समय चाहा जो न्यायहित में कई बार समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा न तो किसी प्रकार का जवाब पेश किया और न ही बहस की गई। जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण को निस्तारित कराने में कोई रूचि नहीं हैं।

9. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकिय अभीभाषक ने सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

10. प्रकरण में विद्वान अभीभाषक अपीलांट व विद्वान राजकिय अभीभाषक की बहस सूनी गई।

11. विद्वान अभीभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बरानी सोयम जो वर्तमान मे राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज हैं। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 में उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाउण्डरी बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया की खसरा नम्बर 288 के किस भाग पर एवं कौनसी दिशा में कितनी लम्बाई चौड़ाई में अपीलार्थी का कब्जा हैं तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा इसके संदर्भ में कोई नक्शा मौका बनाया गया हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एक तरफा कागजी मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार बाली को पेश की गई, जो विधि विरुद्ध हैं।

12. तत्पश्चात विद्वान अभीभाषक अपीलांट ने निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा पटवारी हल्का फालना गांव की रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 186/2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29.5.2019 को मुकर्रर की गई। अपीलांट को प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 29.5.2019 को तहसील कार्यालय बाली में हाजिर हुआ जहां अपीलांट को खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा गया की प्रकरण मे आगे की तारीख बाद मे बता देंगे। परन्तु तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.5.2019 को उक्त प्रकरण मे अपीलांट से जवाब व साक्ष्य रेकॉर्ड पर लिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29.5.2019 अनुसार अपीलांट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने के साथ वार्षिक लगान रूपये 1/- का 50 गुणा रूपये 50/- अक्षरे पच्चास रूपये के जुर्माने से आरोपित किया। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण 186/2019 मे अपीलांट के विरुद्ध बिना जवाब व साक्ष्य रेकॉर्ड पर लिये एक

अति जिला क्लर्क (सोलिंग)
पाली (राज)

तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर निर्णय पारित किया। जो कि काबिले खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

13. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक ने निवेदन किया की पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 मे रकबा 0.01 हैक्टर पर जो अवैध कब्जा बताया है वह विधि विरुद्ध है, क्योंकि सही व वास्तविक रूप से अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 288 मे नहीं हो कर 288/1 में है। किन्तु विद्वान अभीभाषक द्वारा अपने इस कथन को साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज, साक्ष्य व सबुत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये।


14. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकिय अभीभाषक ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि विद्वान अभीभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों को साबित करने हेतु किसी प्रकार के साक्ष्य, सबुत व दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराये अर्थात उनके द्वारा बताये गये सम्पूर्ण कथन आधारहीन हैं। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम फालना गांव के खसरा नंबर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सौयम मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको हटाया जाना जरूरी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वाली का आदेश दिनांक 29.5.2019 को पारित किया गया है जो कि विधि संगत है। क्योंकि सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को यथावत रखा जावें। जिससे भविष्य में अपीलाण्ट दोबारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकें। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

15. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये साक्ष्य, सबुतो व राजस्व रेकर्ड का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी दलिलों के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य, सबुत तथा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके द्वारा बताये गये कथन आधानहीन हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वाली द्वारा मौजा ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सौयम भूमि मे से 0.1 हैक्टर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपने आदेश दिनांक 29.5.2010 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने व वार्षिक लगान 1/- रूपये का 50 गुणा यानी राशि 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.5.2019 पर अपीलांट के हस्ताक्षर से यह सिद्ध होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अपीलांट को उक्त प्रकरण की पूरी जानकारी थी।

16. तहसीलदार भूमिधारक होने के नाते उनका यह कर्तव्य है कि सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखे। इस हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, वाली का निर्णय दिनांक 29.5.2019 को यथावत रखा जाता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अति जिला कांस्टेबल (सीलिंग)
पाली (राज)

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 186/2019 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.5.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने निर्णय की पालना अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय की प्रतिकृति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



अति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 22/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पाली (राज)